राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(5)गृह–1/2015 जयपुर, दिनांक : 31.10.2019

आदेश

एसबी सिविल रिट संख्या 1879/2008 श्री प्रेम सिंह देवल बनाम राज्य सरकार में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2013 एवं एस.बी.सी. मिस. एप्लीकेशन नं. 90/2014 में दिनांक 10.09.2018 को पारित निर्णय की अनुपालना में राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम–28 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 की विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 10.10.2019 को रिव्यू बैठक आयोजित की गई।

विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू बैठक की अभिशंषा के अनुसार श्री प्रेम सिंह देवल के विरूद्व आदेश क्रमांक 5725–28 दिनांक 01.09.2003 को पारित परिनिन्दा दण्डादेश वर्तमान में यथावत प्रभावी होने के कारण वर्ष 2006–07 में तथा पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 14447–49 दिनांक 07.05.2007 के द्वारा पारित परिनिन्दा दण्डादेश वर्तमान में यथावत प्रभावी होने के कारण वर्ष 2007–08 में श्री देवल को पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू बैठक की अभिशंषा के अनुसार श्री प्रेम सिंह देवल का सेवा अभिलेख संतोषजनक पाये जाने पर वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में वर्ष 2008–09 के रिक्त पद के विरूद्व एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति पर इनकी वरिष्ठता श्री जंहागीर खां (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

श्री प्रेम सिंह देवल (सामान्य) अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0

(गुरू प्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

31/10/19

सहायक शासन सचिव, पुलिस

D:\SO\DPC 2017-18\Promotion Order